उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 260751

"प्ररूप 26

(नियम 4 क देखिए)

67 **किच्छा** -निर्वाचन क्षेत्र से

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभयर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र,

मै, **राजेश शुक्ला** पुत्र **स्व0 राम सुमेर शुक्ला** आयु **41** वर्ष जो **शुक्ला फार्म रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड** का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ. सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ /शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

1. मै ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा): -

(I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- अपराध सं० 3151/2006 एवं अपराध संख्या 863/2001

(II) पुलिस थाना (थाने)- रुद्रपुर
जिला - उधम सिंह नगर
राज्य- उत्तराखण्ड

(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- फौजदारी वाद सं० 288/2010 , सरकार बनाम संजय जुनेजा वगै. आई०पी०सी० की धारा 147,323, 504, 506 , विवरण - विपक्षी दल के साथ हमलामुक्की गालीगलौज पथराव ,

(IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई- ..... वाद सं० 3636/2006, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाद सं० 288/2010 सिविल जज प्रवर खंड

(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे-..... वाद सं० 288/2010 23-01-2012 को ; वाद सं० 3636/2006 16-01-2012 को

(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है-..... नहीं .....

3. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष/नहीं ठाराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडनिष्ट नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठराया गया और दंडदिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)- लागू नहीं

(I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- लागू नहीं

(II) न्यायालय, जिसमें दंडित किया है- लागू नहीं

(III) पुलिस थाना (थाने)- लागू नहीं जिला (जिले)-लागू नहीं राज्य- लागू नहीं

(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- लागू नहीं

(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाएं गए थे- लागू नहीं

(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं- लागू नहीं

स्थान: किच्छा
तारीख: 11.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्यिक बात छिपाई नहीं गई है।

किच्छा स्थान पर आज तारीख 11.01.2012 को सत्यापित किया।